यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 08 / 2025
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

1. जगसीर सिंह
2. परमजीत कौर
3. हरविन्द्र कौर
4. मलकीत कौर पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह

पि. सुखविन्दसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. परमजीत कौर पुत्री श्री बूटासिंह
2. वकीलसिंह पुत्र बूटासिंह
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील संगरिया चक 5 एन.जी.आर पटवार हल्का नगराना के खाता संख्या 159 / 140 खाता जगसीरसिह वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवंत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि ब.हि.ब दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण के नाम से तहसील संगरिया चक 5 एन.जी.आर पटवार हल्का नगराना के खाता संख्या 93 / 85 खाता परमजीतकौर वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.505 हैक. नहरी कृषि भूमि ब.हि.ब दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि तहसील संगरिया चक 5 एन.जी.आर पटवार हल्का नगरांना के खाता संख्या 159 / 140 खाता जगसीरसिंह वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवंत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि जो कि प.न. 170 / 216 के मु.न0 29 के किला न. 5,6,7,8. में हैं जिसमें आने जाने हेतू अप्रार्थीगण के पिता ने सहमति से एक रास्ता प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि तहसील संगरिया चक 5एन.जी.आर पटवार हल्का नगराना के खाता संख्या 93 / 85 खाता परमजीतकौर वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.505 हैक. नहरी कृषि भूमि प.न.170 / 216 मु० नं० 29 के किला नम्बर 14,17,24 के पश्चिम छौर पर उतर से दक्षिण 0.018 हैक्टेयर चौडा रास्ता छोडा है। उक्त रारस्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में पिछले 30 वर्षो से अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते है तथा इसी रास्ता से अपने कृषि यन्त्र आते ले जाते है तथा कृषि उपज भी इसी रास्ते ले कर जाते है इसी रास्ता से टैक्टर से अपनी कृषि भूमि की बिजाई बुआई करते आ रहे है। प्रार्थी के पास इस रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदींक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण का मुख्य पेशा खेती है तथा प्रार्थीगण के परिवार का आजीविका का एक मात्र कृषि भूमि ही है। अप्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

र्थीगण से उक्त रास्ता में आई 0.018 हैक्टेयर कृषि भूमि के बदले में प.नं.170/216 के मुन० 9 के किला न. 6 व 7 में कृषि भूमि पूर्व से पश्चिम दिशा में दोनो किलो में कुल 0.054 हैक्टेयर कृषि भूमि ले रखी है जिसको अप्रार्थीगण अपने उपयोग व उपभोग में लेकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण अब अपनी तहसील संगरिया चक 5 एन.जी.आर. पटवार हल्का नगराना के खाता संख्या 93/85 खाता परमजीतकौर वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवंत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.505 हैक: नहरी कृषि भूमि प.न.170/216 मु० न० 29 के किला नम्बर 14,17,24 के पश्चिम छौर पर उतर से दक्षिण 0.018 हैक्टेयर चौडा चालू रास्ता को बन्द करने के प्रयास में है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आना जाने में असुविधा होगी। जिससे प्रार्थीगण की कृषि भूमि रास्ता के अभाव में खराब व वंजर हो जायेगी जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ेगा रास्ता का अधिकार प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है। अतः अप्रार्थी को चक 5 एन.जी.आर पटवार हल्का नगराना के खाता संख्या 93/85 खाता परमजीतकौर वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवंत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.505 हैक नहरी कृषि भूमि प.न. 170/216 मु० न० 29 के किला नम्बर 14,17,24 के पश्चिम छौर पर उत्तर से दक्षिण 0.018 हैक्टेयर चल रहे आम रास्ता को बन्द करने से रोका जावें इसी अनुसार प्रार्थीगण उक्त रास्ता को रास्ता स्वीकृत करने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थीगण ने पिछले सप्ताह अप्रार्थी से निवेदन किया कि वह चक 5एन.जी.आर पटवार हल्का नगराना के खाता संख्या 93/85 खाता परमजीतकौर वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवंत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.550 हैक. नहरी कृषि भूमि प.न.170/216 मु० न० 29 के किला नम्बर 14.17.24 के पश्चिम छौर पर उतर से दक्षिण 0.018 हैक्टेयर चल रहे आम रास्ता को बन्द करने का प्रयास नहीं करे एव रास्ता स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इंकार हो गए। उक्त रास्ता प्रार्थीगण सुखाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। बस यही वाद कारण है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को उक्त रास्ता में आई 0.018 हैक्टेयर कृषि भूमि के बदले में प.न. 170/216 के मु.न0 29 के किला न. 6 व 7 में कृषि भूमि पूर्व से पश्चिम दिशा में दे रखी है जिसको अप्रार्थीगण अपने उपयोग व उपभोग में लेकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को चक 5. एन.जी.आर पटवार हल्का नगराना के खाता संख्या 93/85 खाता परमजीतकौर वगैरा अन्तिम चौसाला आधार सवंत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में संयुक्त खाता में कुल खाता में दर्ज 1.505 हैक. नहरी कृषि भूमि प.न. 170/216 मु० न० 29 के किला नम्बर 14.17.24 के पश्चिम छौर पर उतर से दक्षिण 0.018 हैक्टेयर चल रहे आम रास्ता को बन्द करने के प्रयास नहीं

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...रने के लिए पाबन्द किया जावे व उक्त चालू रास्ता की स्वीकृति ...
दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1165 दिनांक 07.03.2025 द्वारा प.न. 170/217 मु.न. 29 के किला नं. 14,17,24 में रास्ता दिया जाना व प्रार्थी के पास आवेदित रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही होना एवं पक्षकार आपस मे सहमत नही होना तथा प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा करते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/लिखित बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 एनजीआर में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकतां के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 5 एनजीआर प.न. 170/216 मु.न. 29 किला न. 14,17,24 के पश्चिम छौर पर उतर से दक्षिण 0.018 हैक्टयर में रास्ता स्वीकृत किया जाता है

और इसके बदले में प्रार्थीगण का उक्तानुसार रकबा जिससे अप्रार्थी को खेत खराब न हो इसलिए प.न. 170/216 मु.न. 29 किला नं. 6, 7 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 17, 16 के चिपता नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया